भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1317
03 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

मत्स्यन की प्रतिबंध अवधि

1317. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का विचार 61 दिन के मत्स्यन की प्रतिबंध अवधि के लिए मुआवजा राशि को कम से कम 18,000 रु बढ़ाने और इसे मनरेगा के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप बनाने का है और इस संबंध में वर्तमान वित्तीय स्थितियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रतिबंध अवधि के दौरान मछुआरों पर वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करने के लिए जाल जैसे आवश्यक मछली पकड़ने के उपकरण के लिए सब्सिडी को बहाल करने या विस्तारित करने का ब्यौरा क्या है;

(ग) उच्च ब्याज वाले माइक्रोफाइनेंस ऋणदाताओं पर मछुआरों की निर्भरता को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के माध्यम से कम ब्याज दरों के साथ खोजे गए वैकल्पिक ऋण विकल्पों का ब्यौरा क्या है;

(घ) मछली पकड़ने के सक्रिय मौसम को बढ़ाने के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि को कम अवधि के साथ मिलाने की योजना का ब्यौरा क्या है, जिससे तमिलनाडु के मछुआरों को लगभग चार महीने तक बिना काम के रहने से रोका जा सके; और

(ङ) मछली पकड़ने पर प्रतिबंध को एकतरफा लगाने के बजाय उसकी प्रभावशीलता और आवश्यकता का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन करने का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): वैज्ञानिक सलाह के आधार पर, मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन के लिए भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र / इंडियन एक्सक्लूसिव इकॉनामिक जोन **(**ईईजेड**)** में 61 दिनों का यूनिफॉर्म फिशिंग बैन लागू किया गया है जो फिश स्टॉक में सुधार, स्थायित्व (सस्टैनबिलिटी) सुनिश्चित करने और छोटे पैमाने के और पारंपरिक मछुआरों की आजीविका सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मत्स्यपालन विभाग**,** भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत मत्स्यन गतिविधि पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, प्रत्येक नामांकित लाभार्थी को प्रति वर्ष 3000/- रुपए की सरकारी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और इसमे लाभार्थी का योगदान 1500/- रुपये प्रति वर्ष है। भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई राशि के पूरक के रूप में, राज्य सरकारें राज्य योजना के अनुसार मत्स्यन गतिविधि पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान समुद्री मछुआरों को अतिरिक्त राशि भी प्रदान कर रही है।

(ख): वार्षिक मत्स्यन गतिविधि पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान वित्तीय सहायता के अलावा, पीएमएमएसवाई योजना में समुद्री मछुआरों की आय में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त या वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए कई गतिविधियाँ, जैसे सी विड कल्टीवेशन, मरीन केज कल्टीवेशन, मार्केटिंग आउटलेट जैसे फिश कियोस्क, मोबाइल वेंडिंग आउटलेट और खारे पानी की जलकृषि को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करना आदि शामिल है। पीएमएमएसवाई के तहत सहायता प्रदत्त गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ डीप सी फिशिंग वेसल्स का प्रावधान, पारंपरिक मछुआरों के लिए फिशिंग बोट, इंजन और जालों का प्रतिस्थापन शामिल है, जिसके लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग): क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा मछुआरों और मत्स्य पालकों तक विस्तारित की गई है ताकि उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । मछुआरों को, केसीसी के तहत कम ब्याज दरों और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन के साथ ऋण सहायता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिससे मछुआरों की उच्च ब्याज वाले माइक्रोफाइनेंस ऋणदाताओं पर निर्भरता कम हो जाती है। इसके अलावा 2018-19 से अब तक 7522.48 करोड़ रुपये की निधि के साथ, मात्स्यिकी और जल कृषि अवसंरचना विकास निधि/फिशरीस एंड एक्वाकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) नामक समर्पित निधि के तहत मात्स्यिकी और जलीय कृषि(एक्वाक्ल्चर) गतिविधियों के लिए रियायती वित्त और ब्याज अनुदान का लाभ भी प्रदान किया जाता है।

(घ) और (ड़): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा इंडियन एक्सक्लूसिव इकॉनामिक जोन (ईईजेड) में दोनों तटों (अर्थात पूर्वी तट पर 15 अप्रैल से 14 जून और पश्चिमी तट पर 1 जून से 31 जुलाई) पर तकनीकी समिति की अनुशंसा और तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श के आधार पर 61 दिनों के लिए एकसमान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध (यूनिफ़ोर्म बैन ऑन फिशिंग) की अवधि लागू की गई है। इसी तरह, तटीय राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भी ईईजेड में लागू यूनिफॉर्म बैन के अनुरूप अपनी समुद्री सीमा (टेरीटोरियल वाटर्स) में मत्स्यन पर बैन लागू कर रहे हैं। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा गठित एक तकनीकी समिति द्वारा भारतीय ईईजेड में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध अवधि की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। समिति मछली पकड़ने पर प्रतिबंध अवधि में संशोधन के अनुरोध के बारे में हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच करती है और मानसून अवधि के दौरान फिश स्टॉक पर लागू किए जा रहे यूनिफॉर्म फिशिंग बैन की प्रभावशीलता का आकलन करती है। पारंपरिक नॉन मोटोराईज़्ड़ फिशंग बोट को टेरीटोरियल वाटर्स से आगे भारतीय ईईजेड में लगाए गए इस यूनिफॉर्म बैन से छूट दी गई है।

*****